भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1865

बुधवार, 04 अगस्त, 2021/13 श्रावण, 1943 (शक)

जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उन्मूलन

1865. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बीड़ी, कालीन, वस्त्र और खनन उद्योगों जैसे जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषकर जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम कम करने के लिए कोई योजना प्रस्तावित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जोखिम भरे विभिन्न उद्योगों से कितने बाल मजदूर मुक्त किए गए और विगत पांच वर्ष में उनके पुनर्वास से संबंधित ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): बाल श्रम देश में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का परिणाम है। सरकार बाल श्रम के उन्मूलन के लिए एक बहु-आयामी कार्यनीति का पालन कर रही है जिसमें विधायी उपाय, परियोजना-आधारित पुनर्वास और सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा पर बल देना शामिल है।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को वर्ष 2016 में संशोधित किया गया। इस संशोधित अधिनियम को अब बाल और किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कहा जाता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी व्यवसाय या प्रक्रिया में नियोजन या काम पर पूर्ण निषेध तथा जोखिमकारी व्यवसाय और प्रक्रियाओं में 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों के नियोजन के निषेध का भी प्रावधान है। इस अधिनियम, में अधिनियम के उल्लंघन के लिए नियोक्ताओं के लिए कड़ी सजा का भी प्रावधान है और अपराध को संज्ञेय बना दिया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) और जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तर पर टास्क फोर्स हेतु उपबंधित हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अधिनियम के प्रावधानों को ठीक से लागू किया गया है।

....जारी पृष्ठ 2/-

श्रम और रोजगार मंत्रालय बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना का भी कार्यान्वयन कर रहा है। एनसीएलपी के अंतर्गत, 9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को काम से मुक्त/छुड़ाया जाता है और एनसीएलपी विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित किया जाता है, जहां उन्हें औपचारिक शिक्षा पद्धति की मुख्यधारा में लाने से पहले ब्रिज शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन, वजीफा, स्वास्थ्य देखरेख, आदि उपलब्ध कराई जाती है। 5-8 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के निकट समन्वय के माध्यम से औपचारिक शिक्षा पद्धति से सीधे जोड़ा जाता है। इसकी बेहतर निगरानी के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल- "पेंसिल (बाल श्रम प्रतिषेध के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मंच)" भी विकसित किया गया है।

(ड़): वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना के अंतर्गत बचाए गए/काम से छुड़ाए गए, पुनर्वासित और मुख्यधारा में शामिल किए गए बच्चों की राज्य-वार संख्या, अनुबंध में दी गई है।

* *****

अनुबंध

"जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उन्मूलन" के संबंध में श्री मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा दिनांक 04.08.2021 के लिए नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1865 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

विगत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) योजना के अंतर्गत बचाए गए/काम से छुड़ाए गए, पुनर्वासित और मुख्यधारा में शामिल किए गए बच्चों की राज्य-वार संख्या:

क्र. सं.	राज्य	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-2020**	**2020-2021**
1	आंध्र प्रदेश	814	203	778	1049	622
2	असम	434	915	4562	6175	2800
3	बिहार	0	2800	0	0	0
4	गुजरात	0	187	101	341	531
5	हरियाणा	40	0	171	0	0
6	झारखंड	334	2014	1225	2940	3239
7	कर्नाटक	681	679	763	363	275
8	मध्य प्रदेश	4442	11400	4910	4010	29179
9	महाराष्ट्र	1692	5250	8122	9337	2031
10	उड़ीसा	0	0	0	6	495
11	पंजाब	592	994	915	483	1307
12	राजस्थान	630	105	0	1712	0
13	तमिलनाडु	2850	2855	2534	3928	1456
14	तेलंगाना	1431	2137	935	214	300
15	उत्तर प्रदेश	3066	0	8020	10371	9383
16	पश्चिम बंगाल	13973	17899	17137	13879	6671
17	उत्तराखंड	0	0	0	62	0
18	नागालैंड	0	197	111	24	0
	कुल	**30979**	**47635**	**50284**	**54894**	**58289**

*****